भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1

18.07.2022 को उत्तर के लिए

ईएसजेड के अंतर्गत बफर जोन का सीमांकन करना

1. **श्री के. मुरलीधरन :**
एडवोकेट डीन कुरियाकोस :
श्री एंटो एन्टोनी :
प्रो. सौगत राय :
एडवोकेट अदूर प्रकाश :
श्री एम.के. राघवन :
एडवोकेट ए.एम. आरिफ :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास एक कि.मी. के दायरे में इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) बनाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर प्रत्येक राज्य के भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार विचार किया जाना चाहिए अथवा नहीं;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि निर्णय से वहां के निवासियों के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और क्या ऐसे क्षेत्र विशेष में कई परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और उक्त आदेश से प्रभावित देश के प्रत्येक वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के आस-पास रहने वाले लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ईएसजेड के तहत बफर जोन के निर्धारण के वैज्ञानिक तरीके का अध्ययन करने के लिए कोई समिति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का देश में वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं/बफर जोन के पास रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केरल राज्य सरकार ने बफर जोन आवश्यकता में संशोधन हेतु कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने पश्चिमी घाट के संबंध में डॉ. कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ड.): माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में आई.ए. सं. 1000 में दिनांक 3 जून, 2022 के अपने निर्णय द्वारा निदेश दिया है कि

प्रत्येक संरक्षित वन, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य, में ऐसे संरक्षित वन की सीमांकित बाउण्डरी से न्यूनतम एक किलोमीटर का ईएसजेड (पारि-संवेदनशील क्षेत्र) अवश्यक होना चाहिए जिसमें दिनांक 9 फरवरी, 2011 के दिशानिर्देशों में उल्लिखित और निर्धारित कार्यकलापों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

माननीय न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि ईएसजेड की न्यूनतम चौड़ाई को व्यापक जनहित में कम किया जा सकता है, किंतु इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सीईसी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संपर्क करेंगे तथा ये दोनों निकाय न्यायालय के समक्ष अपनी राय/सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। उस आधार पर, न्यायालय उचित आदेश पारित करेगा।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित ईएसजेड के भीतर, कार्यकलापों को अधिसूचना के अनुसार निषिद्ध, संवर्धित और विनियमित किया जाता है।

(च): जी हां। ईएसजेड की अधिसूचना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ईएसजेड को अंतिम रूप देने के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रारूप प्रस्तावों के प्रकाशन से पहले मंत्रालय में उनकी जांच की जाती है। अंतिम अधिसूचना को प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच करने के उपरांत प्रकाशित किया जाता है।

(छ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में दिनांक 6 जुलाई, 2022 को पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में छः राज्यों नामत: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

*****